

28 ⁰³/₂₃

पत्रावली पैरा ६१ वकूलाय उप।

मूल वाद में आदेश पारित होकर वाद वादी
आरिज किया जा चुका है। मूल वाद पत्र आरिज
होने से T.I प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं
होने से T.I प्रार्थना पत्र आरिज किया जाता है।
पत्रावली फौसल सुमार होकर नम्बर से कम हो

उपखण्ड अडिस्तुरी
बाली, जिला-पाली (राज.)